FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

....

किस्म मुकदमा.................................... नं.................... सन्..........

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28/06/2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/6/24	पत्रावली पेश। वकील अप्रार्थीगण ने हिदायत पैरवी नहीं होना "No instruction" होना आदेशिका पर अंकित किये जाने से वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 10/07/2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (हाशिये पर: No instruction, हस्ताक्षर 28/6/24)	
10/7/24	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक....12-7-24.... को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जवाब पेश किया हुआ है। बहस हेतु वकील अप्रार्थी ने इन्कार किया। वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण व अन्य के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिनका सहखातेदारो व वादीगण की भूमि का बंटवारा हो रहा है। अप्रार्थी 1 लगायत 3 का विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी मात्र अतिक्रमी की हैसियत से	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
परेशान करते हैं। जिनके द्वारा भूमि खसरा संख्या 4137/3167 पर जबरन नीमे खुदवाकर निर्माण कार्य करने की धमकिया दी जा रही है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है। कि वे अपनी भूमि पर अप्रार्थी 1, 2 व 3 को जबरन कार्य निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबंद करावे। अप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 4137/3167 में प्रार्थीगण द्वारा उसे भू-खण्ड बेचान करना बताया है व इकरारनामे से अब प्रार्थीगण को इन्कार बताया है। प्रकरण से सम्बन्धित वाद धारा 188 आ0टी0एक्ट0 एक्ट का प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में तनकी के स्तर पर लम्बित है। विवादित भूमियों में अप्रार्थीगण खातेदार अंकित नहीं है। उनके द्वारा बताए गए इकरारनामे बाबत निर्णय मूल वांद में किया जाना है तब तक न्यायालय विवादित भूमि को संरक्षित करना उचित समझता है ताकि अनावश्यक वाद बाहुलता न हो। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार दर्ज होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। विवादित भूमि पर निर्माण कार्य कर लेने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई है। अतः अप्रार्थीगण क्रम संख्या 1 लगायत 3 को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि खाता संख्या 855 के खसरा संख्या 4137/3167 वाके ग्राम बडानयागांव पटवार मण्डल बडानयागांव पर किसी प्रकार निर्माण कार्य नहीं करें व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	